

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1848/2026

Sampat Lal S/o Lallu Lal,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1742/2026

Surendra Kumar S/o Sh. Shiv Chand,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rajeev Kumar Sogarwal, Adv.
Mr. Pradeep Kumar, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

दोनों ही प्रकरणों में अयाची क्रम-1 राज्य की ओर से विद्वान लोक अभियोजक द्वारा उपस्थिति दी गई, जिन्हें निर्देश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर अनुसंधान के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

अयाची क्रम-2/परिवादी को नियमानुसार नोटिस जारी किये जावें।

अंतरिम आदेश पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रश्नगत भूखण्ड संख्या HE-398 संबंधित समिति द्वारा राजमल को आवंटित किया गया था, उसकी सहमति से व समर्पण करने के उपरांत अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित होकर इस भूखण्ड का कब्जा दिनांक 24.11.2000 को अभियुक्त संपतलाल के पक्ष में अंतरित हुआ और उसके बाद अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार द्वारा पंजीकृत विक्रय

विलेख के माध्यम से संपूर्ण प्रतिफल राशि चेक से अदा कर खरीदा गया और वर्तमान में उसका ही कब्जा है। उनका यह भी निवेदन है कि जब वर्ष 2000 में ही राजमल की सहमति से यह संपत्ति संपतलाल को अंतरित हो चुकी थी, तो ऐसी स्थिति में राजमल को दिनांक 09.04.2021 को यह भूखण्ड परिवादिया सुरभि कुमारी को गिफ्ट करने का कोई अधिकार ही नहीं था। यह भी निवेदन है कि राजमल व सुरभि के कोई रिश्तेदार नहीं है, मात्र सुरेन्द्र कुमार के स्वामित्व के भूखण्ड को विवादित बताने के लिए यह कार्यवाही की गई है। मामला अधिकतम सिविल प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्तगण का यह भी निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों के बावजूद सह-अभियुक्त/अयाची क्रम-2 अनिल कुमार को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अन्य अभियुक्तगण को भी सिविल मामले में गिरफ्तार करने पर आमादा है।

संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि याची-अभियुक्त **1. संपत लाल, 2. रमेश चंद तथा 3. सुरेन्द्र कुमार को** आज से पंद्रह दिवस में संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निरंतर अनुसंधान में सहयोग करे, इसी शर्त के अधीन पुलिस थाना-वैशाली नगर, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-114/2026 में उपरोक्त तीनों अभियुक्तगण की गिरफ्तारी पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का अंतरिम आदेश दिया जाता है।

दोनों प्रकरण चार सप्ताह पश्चात् सूचीबद्ध किये जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J